

पत्र संख्या- २६/७, जिलापत्रक / इलाहा / १३-२२/२०१३

राज्यपाल / कुलाधिपति के सचिव,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

卷之三

कुलसांचव,
कुमाऊँ विधवविद्यालय, नैनीताल।
राज्यपाल/कुलाषिपति समिवालय उत्तराखण्ड
महोदय,

संस्कृत विद्यालय, नवम्बर 2013

कुमाऊ विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विभिन्न वी0एड० संस्थानों द्वारा अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में साठ उच्च न्यायालय, नैनीताल भैं रिट याधिकार्य वायर की गयी थी, जिसके क्रम में संस्थानों को सत्र 2012-13 हेतु सशर्त अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की गयी थी। तत्काल में कुलपति, कुमाऊ आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि महामहिम/ कुलाधिपति द्वारा उठाए राष्ट्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37(2) के अधीन निम्नान्कित 26 संस्थानों/कालेजों को, समस्त मानकों की पूर्ति होने की दशा में स्तम्भ-3 भैं वर्णित पाठ्यक्रम हेतु स्तम्भ-4 पर वर्णित अवधि के लिये अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की सैदान्तिक रवीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान कर दी है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	अस्थाइ सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4
1.	ट्रिनिटी इन्स्टीट्यूट आफ प्रोफेशनल स्टडीज, हल्द्वानी।	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2013-14 हेतु
2.	स्वामी विवेकानन्द प्राइवेट कालेज आफ मैनेजमेंट, विश्वनाथपुर, गोलापार, हल्द्वानी।	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2013-14 हेतु
3.	वजाज कालेज आफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी, गदरपुर।	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2013-14 हेतु
4.	पूर्णगिरी कालेज आफ एजुकेशन, खटीम।	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2013-14 हेतु
5.	ठरदंव सिंह स्मारक कालेज, जसपुर, उधमसिंहनगर।	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2013-14 हेतु
6.	श्री भौह शिक्षण संस्थान, जसपुर, उधमसिंहनगर।	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2013-14 हेतु
7.	द्रोण बी0एड0 कालेज फार बुर्मन, विनेशपुर, लद्दपुर।	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2013-14 हेतु
8.	द्रोण बी0एड0 कालेज, दिनेशपुर, लद्दपुर।	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2013-14 हेतु
9.	आम्रपाली इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड कम्प्यूटर एस्टीकोशन्स, शिक्षा नगर, हल्द्वानी।	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2013-14 हेतु
10.	प्रेजन्टेशन कालेज आफ टीचर्स एजुकेशन, काठगोदान (हल्द्वानी)	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2013-14 हेतु
11.	जे0एन० कॉल इन्स्टीट्यूट आफ एजुकेशन, नेगीलाल।	बी0एड0 (60 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2013-14 हेतु
12.	एल0धी0एस0एस0 कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जसपुर।	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2013-14 हेतु

13.	मरियम इन्स्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज एप्ल एप्लाइड कोर्सेस, बरेली रोड, हल्द्यानी।	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2013-14 हेतु
14.	एसीएस इंस्टीट्यूट आफ एप्ले खेतलसण्डा खाम, खटीमा।	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2013-14 हेतु
15.	इन्स्टीट्यूट कॉलेज ऑफ ट्रेनिंग एजुकेशन, पॉलीशीट, कालगोदाम, मैनीताल।	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2013-14 हेतु
16.	वेवभूमि कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॅर बुमैन, कध्यी खमरिया, पो० लालपुर, रुद्रपुर	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2013-14 हेतु
17.	देवभूमि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कच्ची खमरिया, पो० लालपुर, रुद्रपुर	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2013-14 हेतु
18.	वेवभूमि कॉलेज ऑफ एजुकेशन दूनापट्टा रोड, बन्दसा, चम्पावत।	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2013-14 हेतु
19.	सरस्वती इन्स्टीट्यूट आफ मैन०० एप्ड टैक्नौ० रुद्रपुर	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2013-14 हेतु
20.	डॉ सुशीला तिवारी प्राइवेट बी0एड0 कॉलेज, सितारयंज, उचमसिठनगर।	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2013-14 हेतु
21.	श्री गुरुनानक डिग्री कॉलेज, प्रीति हिहर कालोनी, रुद्रपुर।	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2013-14 हेतु
22.	कैश्य सूयमुखी कॉलेज आफ एजुकेशन, शयिताराम, तितारगांज, रुद्रपुर।	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2013-14 हेतु
23.	सल्ट इन्स्टीट्यूट आफ टैक्नोलॉजी एप्ल मैनेजमेंट, सल्ट, शारिखाल, अल्मोड़ा।	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2013-14 हेतु
24.	श्री गुरुनानक प्रा० कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चानकगत्ता	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2013-14 हेतु
25.	सूरजभल अग्रवाल प्रा० कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किल्चा	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2013-14 हेतु

1- यह अस्थायी सम्बद्धता संस्थान द्वारा सभी भानकों की पूर्ति की शर्त ये अधीन प्रदान की जा रही है। इसी मध्य सभी प्रकरणों का पृथक से परीक्षण किया जायेगा तथा भावी अस्थाई सम्बद्धता के सम्बन्ध में निर्णय या कार्यवाही उसी आधार पर सुनिश्चित की जायेगी।

५— निर्धारित मानकों की पूर्ति व अर्थ फैकल्टी की सुनिश्चितता के सम्बन्ध में कुमारौं विश्वविद्यालय एवं निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा संस्थानों का अपने स्तर से समय-समय पर अभिवार्यलः निरीक्षण किया जाता रहेगा। यदि संस्थानों के भानकों का पूर्ण न होना पाया जाता है तो ऐसा संस्थानों की मान्यता समाप्त किये जाने के लिये संस्कृति/प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। यदि ऐसे मामलों में विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा शिथिलता दरही जाती है तो शासन द्वारा सम्बन्धित कार्मिक/समक्ष अधिकारी का व्यवितरण उत्तरदायित्व निर्धारित करते हए उसके विरुद्ध नियमोनुसार कार्यदाही असल में लायी जायेगी।

3- संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट तैयार की जायेगी, जिसमें संचालित पादयक्षम अवस्थापना सुविधायें, शैक्षिक-शिक्षणस्तर फैकल्टी की शैक्षिक अर्डरा, उत्तीर्ण परीक्षाफल एवं प्राप्तांक प्रतिशत, फैकल्टी अंकपत्रों की प्रतियोगी, फैकल्टी की अद्यतन फोटो जॉडिल फैकल्टी को मासिक देतन भुगतान का विवरण अपलोड किया जायेगा।

4— यदि किसी भी स्तर पर शासन/कुलाधिपति के संज्ञान में आता है कि उक्त संस्थान में संघालित पाठ्यक्रम की सम्बद्धता की संस्तुति तथ्यों को छुपाते हुए प्रस्तावक द्वारा की गई है तो इसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित/निरीक्षण दल/संरचन या होगा तथा संस्थान की सम्बद्धता समाप्त किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायगी।

क्रमांक:—३/-

—3—

6— संप्रारथ होने से पूर्व संस्थान/कालेज को अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निर्वाचन गतिविधयों का पुष्टि का एक प्रमाण—पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा, तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।

7— संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय, शासन, एवं महामहिंग कुलाधिपति के आदेशों/निर्देशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।

8— संस्थान में मानक के अनुसार अहं फैकल्टी नियुक्त होने के पुष्टि समय—समय पर विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा द्वारा की जायेगी। यदि फैकल्टी पूर्ण न किये जाने का मानक किसी संस्था द्वारा पूर्ण नहीं किया जाता है तो उक्त शर्षों में उसकी सीढ़े उपर्युक्त फैकल्टी के अनुसार अनुमन्य की जायेगी।

9— संस्थान द्वारा किसी दूसरे विश्वविद्यालय का कोई दूरस्थ शिक्षा अध्यायन केन्द्र संचालित नहीं किया जायेगा।

10— छात्रों से विश्वविद्यालय/शासन होने निर्धारित शुल्क ही किया जायेगा यदि निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने की पुष्टि होती है तो संस्थान के विलक्षण विश्वविद्यालय अधिनियम में उत्तिलिखित प्राविद्यानों के अस्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

11— यदि संस्थान द्वारा कुलाधिपति/शासन के आदेशों का सहसंधन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में शासन द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रमों प्रारम्भ करने के लिए दी गई अनापत्ति को वापस लिये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

12— संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के एस०सी०/एस०टी०/ओ०बी०सी० की अधिनियम के अनुसार आरक्षण दिया जाना होगा।

13— संस्थान द्वारा उक्त शर्तों का अनुपालन किया जा चुका है अथवा नहीं इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इसकी पुष्टि की जानी होती है। अस्थाया आगामी अस्थायी सम्बद्धता स्वीकृत नहीं की जायेगी।

भवदीय,

(अल्प पुस्तार ढाँडियाल)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या- 21/7 (1) / जी०एस०/शिक्षा/A3-22/2013-पुष्टिनार्कित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— संघीय उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, दैहियदून।
- 2— कुलाधिपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
- 3— निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर द्वीपीय संघीति, निकट भानसरोवर लैडियम, भानसरोवर, जयपुर, राजस्थान।
- 4— निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, हल्द्वानी।
- 5— प्रबन्ध संघीय, सम्बन्धित संस्थान।
- 6— उच्च शिक्षा विभाग की पत्राधारी हेतु।
- 7— संस्थान की साम्बन्धित पश्चावली/कार्यपाद प्रक्रिया/वार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(पुनर्व सिंह सोबती)
वित्त नियंत्रक श्री राज्यपाल।